पत्र सख्या-चे0पो0-25-क-परिपत्र जमा प्रमाण पत्र-09-10/ 0910098 / वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर ,वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(चेकपोस्ट अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 08 मार्च , 2010

समस्त

जोनल एडीशनल कमिश्नर/एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0/अपील)/

ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/कार्यपालक/ अपील/उच्च न्यायालय कार्य/सवोच्च न्यायालय कार्य)/

डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी ,

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश। Key Ward 1-47- Import/ Penalty

कृपया मुख्यालय के परिपत्र संख्या-25-क-परिपत्र जमा प्रमाण पत्र-09-10/ 091060 / वाणिज्य कर दिनांक 05-11-09 व परिपत्र संख्या-25-क-परिपत्र जमा प्रमाण पत्र-09-10/ 091062 / वाणिज्य कर दिनांक 16-11-09 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वैट अधिनियम / वैट नियमावली के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार पंजीकृत व्यापारियों के मामले में मांगी गयी जमानत की राशि प्रत्येक मामले में माल के मूल्य का 40 प्रतिशत लिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

पूर्व में मुख्यालय के परिपत्र संख्या-स0के0-क-शिकायत-40-1085-इलाहाबाद-04-05 / 3511 दिनांक 24-03-05 से यह निर्देश दिये गये हैं कि जिन वस्तुओं पर तत्समय प्रचलित व्यापार कर अधिनियम के साथ-साथ प्रवेश कर की अलग देयता भी बनती है उन प्रकरणो में तत्समय प्रचलित व्यापार कर अधिनियम के साथसाथ प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जाए। व्यापार कर अधिनियम के स्थान पर वाणिज्य कर अधिनियम लागू हो जाने पर वर्तमान में भी जिन प्रकरणों में वाणिज्य कर एवं प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत अनियमिततायें पाये जाने पर कार्यवाही की जानी है। ऐसे प्रकरणों मे यदि वाणिज्य कर अधिनियम के समतुल्य प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत भी जमानत की धनराशि की मांग की जाती है तो 80 प्रतिशत की धनराशि जमा करानी पड़ती है जिसका कई व्यापारिक संघों द्वारा विरोध किया गया है।

इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि व्यापारियों द्वारा परिवहित किये जा रहे माल की जॉच पर अनियमितता पाये जाने पर यदि परिपत्र संख्या -चे0पो0-25-क-परिपत्र जमा प्रमाण पत्र 09-10 / 0910062/ वाणिज्य कर दिनांक 16/11/09 के अनुसार वाणिज्य कर अधिनियम के अन्तर्गत जमानत लिया जाना आवश्यक है तथा उस वस्तु पर प्रवेश कर की देयता भी है तो दोनों अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत एवं अपंजीकृत दोनों प्रकार के व्यापारियो के लिये जमानत की सम्मिलित धनराशि माल के मूल्य के 40 प्रतिशत के बराबर ही जमा करायी जाएगी।

8/3/10

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उ0प्र0।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0शासन, सचिवालय, लखनऊ।

2- अध्यक्ष, वाणिज्य कर, अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4- सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य कर परिषद, अनुभाग मुख्यालय, लखनऊ।

5- संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)वाणिज्य कर अधिकारी, प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ।

6- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।

7- चेक पोस्ट अनुभाग को 15 प्रतियॉ अतिरिक्त।

(पी0सी0 तिवारी)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (चेकपोस्ट)वाणिज्य कर,

मुख्यालय लखनऊ।